न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 84/2020

1. रतिराम पुत्र रामस्वरूप
2. प्रमोद पुत्र रामस्वरूप
3. मन्जू देवी पुत्री रामस्वरूप
4. मणी पुत्री रामस्वरूप
5. धुपली देवी पुत्री रामस्वरूप
6. किरण देवी पुत्री रामस्वरूप
7. रेखा देवी पुत्री रामस्वरूप
   जाति खाती निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. कपूर चन्द पुत्र फुलचंद
2. प्रवीण कुमार पुत्र फुलचंद
3. इन्द्रपाल पुत्र फुलचंद
4. मुकेश कुमार पुत्र रामचंद्र
   समस्त जाति खाती निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना।

..............अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

अधिवक्ता उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री अशोक यादव अधिवक्ता
2. अप्रार्थी सं0 की ओर से 1 से 3 – श्री मुकेश चौधारी अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक 30.03.2022

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह कि वाके ग्राम अलीपुर स्थित भूमि सं. 2075–78 के खाता 9 के खसरा नम्बर 1442/350 रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 1536/[illegible] रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 341 रकबा 0.16 है. खसरा नम्बर 342 रकबा 0.37 है. खसरा नम्बर 343 रकबा 0.35 है. खसरा नम्बर 344 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 345 रकबा [illegible] है. खसरा नम्बर 0.76 है., 349 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 350 रकबा 0.51 है किता 10 कुल रकबा 3.[illegible] दर्ज [illegible] के नाम राजस्व रिर्काड में [illegible] के राजस्व रिकार्ड है विवादित कृषि पक्षकारान पक्षकारान ने आपसी बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारा के मुताबिक पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि खातेदार विधादेवी पत्नी होशियारसिंह, गिरधारी पुत्र चतरू, शेरसिंह, शेरसिंह पुत्र भानाराम , रामसिंह पुत्र भानाराम, रामनिवास पुत्र भानाराम, रामेश्वर पुत्र गीगराज, का स्वर्गवास हो चुका है। उनके हिस्से की कृषि भूमि पर उसके विधिकवारिसान काबिज काश्त है। जिनकों भी पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 23 का प्रत्येक का वाद वर्णित भूमि में 25/3204 हिस्सा व प्राथी सं. 5 धुपली का अलग से वाद वर्णित भूमि में भाग 24/259 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का आवेदन पत्र वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। ना ही खातेदार है। प्रार्थीगण/ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 42 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारा व हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जकास्त कर रहे है। प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 42 ने बाहमी बंटवारा व हिस्सा के मुताबिक अपे–अपने हिस्से को समतल कर पेड आदि लगा रखे है।

3. यह कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने गत 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर जबरन लठ के बल नींव खोदना व पत्थर डालना शुरू करदिया है। व जबरन प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे कास्त की भूमि पर मकान निर्माण करने की धमकी दी तथा कार्य भी शुरू कर दिया जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण ने पुलिस थाना को दी अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अति‌ 6मण कर रखा है राजकीय भूमि गै0मु0 पहाड़ की भूमि पर मकान बना रखे है। जिसके खसरा नम्बर 351 है जिसकी किस्म गै0मु0 पहाड दर्ज है। दिनांक 03.06.2020 को प्रार्थीगण ने इसकी रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार बुहाना की दी लेकिन तहसीलदार बुहाना ने कोई कार्यवाही नही की जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 4 के होसले और अधिक बढ गये तथा प्रार्थीगण को धमकी दी की प्रशासन हमारा कुछ नही बिगाड सकता तथा प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करना शुरू कर दिया तथा जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने की धमकी देने से आधार विवाद पैदा हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क) कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम अलीपुर स्थित भूमि सं. 2075–78 के खाता 9 के खसरा नम्बर 1442/350 रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 341 रकबा 0.16 है. खसरा नम्बर 342 रकबा 0.37 है. खसरा नम्बर 343 रकबा 0.35 है. खसरा नम्बर 344 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 345 रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 0.76 है., 349 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 350 रकबा 0.51 है. किता 10 कुल रकबा 3.88 है. में से प्रार्थीगण के हिस्से में मुताबिक बाहमी बंटवारा कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दंखलदांजी, निर्माण कार्य, अतिक्रमण आदि ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी परिवाजनों, मित्रों रिस्तेदारों आदि से करावे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से जबाब प्रार्थना पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जबाव रहा कि – वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है मौके पर [illegible] भूमि पर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है मौके पर एक इंच भी खाली [illegible] उक्त भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है. जो गै.मु. जोहड [illegible] खसरा नम्बर 351 व खसरा नम्बर 351/1, 351/2 [illegible] रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा को हैक्टयर में परिवर्तन करने पर इस रकबा [illegible] बनता है जिसके खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.06 है. दर्ज कर प्रार्थीगण की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

दिया। जबकि उक्त भूमि गै.मु. पहाड का हिस्सा है। खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.06 है. भूमि पर पिछले 40 वर्षो से लोगो ने कब्जा कर मकानात बनाकर रखे है। मौके पर एक इंच भी खाली नही है। प्रार्थीगण राजेन्द्र व रतिराम के मकान भी इसी खसरा नम्बर में बने हुए है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है. कुल 600 व. मी. ही है। उससमें इन लोगों ने मकान बना रखे है। अप्रार्थीगण का मकान हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है. में बने हुए है। मकानों का मैन गेट खसरा नम्बर 1536/351 से लगता हुओं है चूंकि उक्त खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है. पूर्व में खसरा नम्बर 35 का ही हिस्सा गै0मु0 पहाड़ दर्ज है उस पर अप्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी सं. 1 के मकान का मुख्य गेट है मकान करीब 40 वर्ष बनाया गया था। उस अप्रार्थीगणा के मकान का गेट पुरान व जरजर होने पर उसका पुनः निर्माण करने पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र किया है जो चलने योग्य नही है। खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0. 06 है. भूमि मौके पर कृषि भूमि नही है भूमि पर चारो तरफ मकान बने हुए है। जो करीब 35–40 साल से बने हुए है तथा खसरा नम्बर 1536/351 गलत रूप से भू–प्रबन्धक विभाग ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 24 के नाम दर्ज कर दी। भूमि गै0मु0 पहाड का हिस्सा है जो खसरा नम्बर 351 से निर्मित हुए है। खसरा नम्बर 351 के गत खसरा नम्बर 288 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा थी जिसको हैक्टयर में परिवर्तन करने पर 1. 02 है. बनता है। जिनका हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.06 है. जो सिरिगेशन में खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है. दर्ज है। इस प्रकार इस भूमि पर प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। भूमि गै.मु.पहाड की भूमि है जिस पर मौके पर कोई कास्त नही होती है। वर्तमान में मौके एक एक इंच आबादी बसी हुई है। भूमि खाली नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय र्जा खर्चा खारीज किया जावे।

(3) **<u>अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार से मौके रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट रही कि–</u>**

ग्राम अलीपुर के विवादित भूमि खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.04 है. खसरा नम्बर 350 रकबा 0.51 है. के मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर की नाप वादीगण द्वारा उपलब्ध कराई गई नकल सर्वेशीट क्रमांक 3332 दिनांक 05.03. 2021 से की गई। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने धरो पर मौजूद मिल । मौके की नाप अनुसार मौके की स्थिति नजरी नक्श अनुसार है जो सलंग्न है। नजरी के क्रम संख्या 2 में प्रतिवादीगण के आवासीय मकान बने हुए है। वादीगण की खातेदारी भूमि में से 17 X 8 = 136 व.मी. पर आवासीय मकान तथा क्र.सं. 3 में प्रतिवादीगण का 18.5 X 8 = 148 व0मी0 पर चार दिवारी बाडा व मकान बने हुये है। खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.04 है.वादीगण की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का 284 व.मी. पर मकान व बाडा बनाकर कब्जा है। शेष मकान व बाडा प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है. किस्म गै.मु.पहाड में स्थिति है।

(4) बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

(1) प्रार्थीगण के अधिवक्ता का [illegible] रही [illegible] वा[illegible] ग्राम अलीपुर स्थित भूमि सं. 2075–78 के खाता 9 के खसरा नम्बर 1442/[illegible] रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 341 रकबा [illegible] है खसरा नम्बर 342 रकबा 0.37 है. खसरा नम्बर 343 रकबा 0.35 है. खसरा नम्बर 344 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 345 रकबा 0.34 है. खसरा नम्बर 0.76 है., 349 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

350 रकबा 0.51 है. किता 10 कुल रकबा 3.88 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है विवादित कृषि पक्षकारान के नाम राजस्व रिर्काड में है। वाद के पक्षकारान ने आपसी बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारा के मुताबिक पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का आवेदन पत्र वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। ना ही खातेदार है। प्रार्थीगण/ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 42 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारा व हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जकास्त कर रहे है। प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 42 ने बाहमी बंटवारा व हिस्सा के मुताबिक अपे–अपने हिस्से को समतल कर पेड आदि लगा रखे है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से बहस रही कि – वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है मौके पर कृषि भूमि नही है इस भूमि पर पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है मौके पर एक इंच भी खाली नही है उक्त भूमि खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है. जो गै.मु. जोहड दर्ज है। उसका हिस्सा है हाल खसरा नम्बर 351 व खसरा नम्बर 351/1, 351/2 के गत खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा को हैक्टयर में परिवर्तन करने पर इस रकबा 1.08 है. बनता है जिसके खसरा न्बर 351/1 रकबा 0.06 है. दर्ज कर प्रार्थीगण की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिया। जबकि उक्त भूमि गै.मु. पहाड का हिस्सा है। खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.06 है. भूमि पर पिछले 40 वर्षो से लोगो ने कब्जा कर मकानात बनाकर रखे है। मौके पर एक इंच भी खाली नही है। अप्रार्थीगण का मकान हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है. में बने हुए है। मकानों का मैन गेट खसरा नम्बर 1536/351 से लगता हुओं है चूंकि उक्त खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है. पूर्व में खसरा नम्बर 35 का ही हिस्सा गै0मु0 पहाड़ दर्ज है उस पर अप्रार्थी संख्या 4 व अप्रार्थी सं. 1 के मकान का मुख्य गेट है मकान करीब 40 वर्ष बनाया गया था। उस अप्रार्थीगणा के मकान का गेट पुरान व जरजर होने पर उसका पुनः निर्माण करने पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र किया है जो चलने योग्य नही है। खसरा नम्बर 351 के गत खसरा नम्बर 288 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा थी जिसको हैक्टयर में परिवर्तन करने पर 1. 02 है. बनता है। जिनका हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.94 है., खसरा नम्बर 351/1 रकबा 0.06 है. जो सिरिगेशन में खसरा नम्बर 1536/351 रकबा 0.06 है. दर्ज है। इस प्रकार इस भूमि पर प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। भूमि गै.मु.पहाड की भूमि है जिस पर मौके पर कोई कास्त नही होती है। वर्तमान में मौके एक एक इंच आबादी बसी हुई है। भूमि खाली नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय र्जा खर्चा खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया जाकर उस पर निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति । विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस एवं तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। तहसीलदार बुहाना के अनुसार अप्रार्थीगण विवादित भूमि में करीब 35–40 वर्षो से मकानात बनाकर आबाद है। मकानो उसके हिस्से पर आबाद है। अप्रार्थीगण स्वयं के हिस्से की भूमि पर मकान बनाकर आबाद है। भूमि की रक्षा हेतु मौके पर गेट का निर्माण कर रहा है। जिसके के अधिकारिणी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 31 तहत एक खातेदार उसी खातेदारी भूमि पर रहवास बनाकर रहने का अधिकारी होता है जो सुधार की परिधि में आता है। जब अप्रार्थीगण अपने मकानो की सुरक्षा हेतु गेट का निर्माण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Choudhary
Date: 2022.05.17 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रहा था उसी समयप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली गई । जिससे अप्रार्थीगण के गेट का निर्माण कार्य बन्द हो गया। चूंकि अप्रार्थीगण अपने रहवास मकानो की सुरक्षा व्यवस्था हेतु गेट का निर्माण करना चाहा रहा है। इसलिए विधि के सुव्यवस्थित कानून में हर व्यक्ति अपने सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहता है। अप्रार्थीगण अपने 30–40 वर्ष पुराने बने गेट जो जरजर स्थिति को पुनः निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने मकानो की सुरक्षा हेतु गेट का पुनः निर्माण करना चाहते है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण विवादित भूमि में करीब 35–40 वर्षो से मकानात बनाकर आबाद है रहवासीय मकानो उसके हिस्से पर आबाद है। अप्रार्थीगण स्वयं के हिस्से आई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज मकान बनाकर आबाद है। भूमि की रक्षा हेतु मौके पर गेट का निर्माण कर रहा है। जिसके के अधिकारिणी है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक खातेदार उसी खातेदारी भूमि पर रहवास बनाकर रहने का अधिकारी होता है जो सुधार की परिधि में आता है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को गेट निर्माण की अनुमति दी जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाना उचित पाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2020 में आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को अपने रहवास मकानो की सुरक्षा हेतु पूर्व से निर्माणाधीन गेट को पूर्ण करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा अन्य कोई निर्माण करने की अनुमति नही होंगी। शेष आदेश दिनांक 17.06.2020 यथावत् रहेगा।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested